राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority*

माघ 23, सोमवार, शाके 1939–फरवरी 12, 2018
Magha 23, Monday, Saka 1939-February 12, 2018

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.303.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(6)वित्त/कर/2016–269 दिनांक 30.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,–

(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और 2 और उसकी प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

“

1.	जहां त्यागे गये अंश, हित, भाग या दावे का बाजार मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।	पांच सौ रुपये

”; और

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक “3” को क्रम संख्यांक “2” के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018–178]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.304.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य

सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-113 दिनांक 08.03.2017 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति ''2 प्रतिशत'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''1 प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति ''3.5 प्रतिशत'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''2 प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-179]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.305.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक प. 4(6)वित्त/कर/2016-227 दिनांक 08.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.03.2018'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.03.2019'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-180]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.306.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस

विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक प. 4(6)वित्त/कर/2016-228 दिनांक 08.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.03.2018'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.03.2019'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-181]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.307.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक प. 4(6)वित्त/कर/2016-229 दिनांक 08.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.03.2018'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.03.2019'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-182]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.308.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक प.

4(6)वित्त/कर/2016-230 दिनांक 08.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''31.03.2018'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.03.2019'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-183]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.309.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 10 में विनिर्दिष्ट किसी कंपनी के संगम-अनुच्छेद के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और न्यूनतम पाँच हजार रुपये और अधिकतम पच्चीस लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए 0.15 प्रतिशत की दर पर प्रभारित किया जायेगा।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-184]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.310.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के संबंध में बैंक और वणिक के मध्य निष्पादित करार पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट दी जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-185]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.311.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत स्टाक ब्रोकर के पक्ष में निष्पादित, उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 44 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट मुख्तारनामे पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और एक सौ रुपये प्रभारित किया जायेगा।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-186]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.312.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.12(25)वित्त/कर/11-153 दिनांक 09.03.2011 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 37 के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और अधिकतम पाँच लाख रुपये के अध्यधीन रहते हुए 0.15 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-187]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.313.–राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके

द्वारा आदेश देती है कि पट्टा या आवंटन की निम्नलिखित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	लिखतों का विवरण	स्टाम्प शुल्क
1.	यदि ऐसा पट्टा या आवंटन राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 या 158 के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है।	एक सौ रुपये
2.	यदि ऐसा पट्टा या आवंटन राजस्थान सरकारी अनुदान अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 20) के अधीन जारी किया गया है।	एक सौ रुपये
3.	यदि ऐसा पट्टा या आवंटन राजस्थान सरकार की स्लम रीडवलपमेंट पॉलिसी-2012 के अधीन जारी किया गया है।	एक सौ रुपये
4.	यदि उपर्युक्त वर्णित पट्टा या आवंटन पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है।	एक सौ पच्चीस रुपये

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-188]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.314.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं0 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(6)वित्त/कर/2014 पार्ट-156 दिनांक 1.1.2018 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''15.02.2018'' जहाँ कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31.05.2018'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-189]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.315.–राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक प. 4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) 100 वर्गमीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दरों से संबंधित विद्यमान खण्ड 8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''**8. 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें**

जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों पर आधारित 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों का मूल्यांकन 5 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।'';

(ii) खण्ड 10 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''75 प्रतिशत'' के स्थान पर, अभिव्यक्ति ''50 प्रतिशत'' प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) विद्यमान खण्ड 11 में, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

''**स्पष्टीकरणः** यदि भूमि के वास्तविक उपयोग की दरें ऐसी भूमि के अनुमोदित भू-उपयोग की दरों से कम हैं तब भूमि का मूल्यांकन अनुमोदित भू-उपयोग के आधार पर अवधारित किया जायेगा।'';

(iv) 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरों से संबंधित विद्यमान खण्ड 13 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''**13. 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा परिभाषित नगरीय क्षेत्रों या नगरयोग्य सीमाओं या नगरीय क्षेत्रों की उपान्त पट्टी में अवस्थित 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।

स्पष्टीकरणः (i) उपर्युक्त दरें विक्रय की लिखत पर लागू होंगी।

(ii) जहां कृषि भूमि के विक्रय की लिखत में क्रेताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता का हिस्सा 1000 वर्गमीटर या उससे कम है, वहां भूमि के ऐसे हिस्से का मूल्य उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर पर संगणित किया जायेगा।''; और

(v) खण्ड 14 में, विद्यमान स्पष्टीकरण (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

''(i) रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थागत, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि के लिए विनिर्दिष्ट उपर्युक्त दरें कलक्टर (स्टाम्प) या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में भी लागू होंगी।''

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-190]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.316.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि परिस्थितियों द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित है, इसके द्वारा आदेश देती है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गयी कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की विद्यमान दरें दिनांक 13.02.2018 से पुनः अवधारित की जायेंगी और दस प्रतिशत तक घटायी जायेंगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-191]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
आदेश
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.317.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि परिस्थितियों द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित है, इसके द्वारा आदेश देती है कि वर्ष 2018-19 में कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों को जिला स्तरीय समिति द्वारा पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः (i) उक्त नियमों के नियम 58 के उप-नियम (3) के उपबंध वर्ष 2018-19 के लिए लागू नहीं होंगे, जहां जिला स्तरीय समिति द्वारा कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरें वर्ष 2017-18 के लिए दिनांक 31.3.2018 तक पुनरीक्षित नहीं की गयी है; और

(ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दरों के पुनरीक्षण हेतु जिला स्तरीय समितियों की बैठकें इस आदेश द्वारा निलम्बित की जाती है

अतः उक्त नियमों के नियम 58 के उप-नियम (3) के उपबन्ध वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लागू नहीं होंगे।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-192]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.318.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.1(10)वित्त/ग्रुप-4/92-1 दिनांक 10.05.1994 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ 2 में उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में उनके प्रत्येक के सामने उल्लिखित जिले के लिए इसके द्वारा रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

क्र.सं.	रजिस्ट्रार	जिला
1	2	3
1.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अजमेर वृत्त-I	अजमेर
2.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, अलवर वृत्त-I	अलवर
3.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बांसवाड़ा वृत्त	बांसवाड़ा
4.	जिला कलक्टर, बारां	बारां
5.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बाड़मेर वृत्त	बाड़मेर
6.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, भरतपुर वृत्त	भरतपुर
7.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, भीलवाड़ा वृत्त	भीलवाड़ा
8.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर वृत्त	बीकानेर
9.	जिला कलक्टर, बून्दी	बून्दी
10.	जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
11.	जिला कलक्टर, चूरू	चूरू
12.	जिला कलक्टर, दौसा	दौसा
13.	जिला कलक्टर, धौलपुर	धौलपुर
14.	जिला कलक्टर, डूंगरपुर	डूंगरपुर
15.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ़ वृत्त	हनुमानगढ़
16.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जयपुर वृत्त-I	जयपुर
17.	जिला कलक्टर, जैसलमेर	जैसलमेर
18.	जिला कलक्टर, जालौर	जालौर
19.	जिला कलक्टर, झालावाड़	झालावाड़
20.	जिला कलक्टर, झुन्झुनूं	झुन्झुनूं
21.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जोधपुर वृत्त	जोधपुर
22.	जिला कलक्टर, करौली	करौली
23.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, कोटा वृत्त	कोटा
24.	जिला कलक्टर, नागौर	नागौर

25.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, पाली वृत्त	पाली
26.	जिला कलक्टर, प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
27.	जिला कलक्टर, राजसमन्द	राजसमन्द
28.	जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
29.	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
30.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, सीकर वृत्त	सीकर
31.	जिला कलक्टर, सिरोही	सिरोही
32.	जिला कलक्टर, टोंक	टोंक
33.	उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, उदयपुर वृत्त	उदयपुर

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-193]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.319.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 69 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसके द्वारा बनाये गये राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1) को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम अनुमोदित और प्रकाशित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम (जिल्द-1), 2018 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 74 का संशोधन.- राजस्थान रजिस्ट्रीकरण नियम, 1955 (जिल्द-1) के नियम 74 के विद्यमान उप-नियम (2ङ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

> ''(2ङ) अधिनियम के अधीन संदेय फीस की रकम के अवधारण में, एक रुपये की कोई भी भिन्न, जो 50 पैसे के बराबर या उससे अधिक हो, अगले एक रुपये में पूर्णांकित की जायेगी और 50 पैसे से कम की ऐसी भिन्नों को हिसाब में नहीं लिया जायेगा।''

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-194]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.320.–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक प. 2(47)वित्त/कर/09-04 दिनांक 09.04.2010 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शीर्ष अनुच्छेद-I के अधीन, स्तम्भ संख्यांक 3 में,-

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति ''चार लाख'' के स्थान पर, अभिव्यक्ति ''तीन लाख'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 6 के सामने, विद्यमान अभिव्यक्ति ''चार लाख'' के स्थान पर, अभिव्यक्ति ''तीन लाख'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-195]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.321.–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अधीन आवासीय इकाइयों के संबंध में विकासकर्ता और आवंटिती के मध्य निष्पादित, कब्जे के साथ या कब्जे के बिना विक्रय करार की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटाई जायेगी और एक हजार रुपये प्रभारित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-196]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.322.–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-124 दिनांक 08.03.2017 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''बीस वर्ष'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तीस वर्ष'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-197]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.323.–रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि पैतृक संपत्ति के विभाजन की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस घटायी जायेगी और अधिकतम दस हजार रुपये के अध्यधीन रहते हुए संपत्ति के पृथक किये गये अंश या अंशों के बाजार मूल्य पर 0.25 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जायेगी।

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-198]
राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण गुप्ता,
शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.324.–राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.

6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27बी दिनांक 08.03.2016 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''30.04.2018'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''30.06.2020'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/27बी1]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.325.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा,-

(i) नष्ट हो चुके यानों पर संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, अधिभार, शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, के संदाय से छूट देती है यदि यान के नष्ट होने की तारीख तक संदेय मोटर यान कर, विशेष सड़क कर और अधिभार दिनांक 30.09.2018 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है;

(ii) नष्ट हो चुके यानों से भिन्न यानों पर 31.03.2016 तक मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज के संदाय से छूट देती है, यदि,-
   (क) मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार पर 01.04.2016 के पश्चात् शोध्य शास्ति और ब्याज, यदि कोई हो, 30.09.2018 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है; और
   (ख) कोई शोध्य मोटर यान कर, विशेष सड़क कर, एक बारीय कर, एकमुश्त कर और अधिभार 30.09.2018 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है।

(iii) राज्य के बाहर रजिस्ट्रीकृत और तीस दिन से अधिक के उपयोग के लिए राज्य में लाये गये गैर-परिवहन यानों पर 31.01.2018 तक एकबारीय कर और अधिभार पर संदेय शास्ति और ब्याज से छूट देती है, यदि दिनांक 31.01.2018 तक शोध्य एक बारीय कर और अधिभार दिनांक 30.9.2018 को या उससे पूर्व निक्षिप्त करा दिया जाता है।

उपर्युक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी, अर्थात् :-

(i) यान का स्वामी छूट के लिए कराधान अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकेगा।

(ii) कराधान अधिकारी कर की संगणना करेगा और मांग नोटिस जारी करेगा।

(iii) नष्ट हो चुके यानों का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जायेगा।

(iv) पूर्व में संदत्त अधिभार, शास्ति या ब्याज को सम्मिलित करते हुए मोटर यान कर, विशेष सड़क कर की रकम, यदि कोई हो, का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

(v) यदि छूट के संबंध में कोई विवाद प्रोद्भूत होता है तो परिवहन आयुक्त का विनिश्चिय अंतिम होगा।

स्पष्टीकरणः यान के नष्ट होने की तारीख परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अवधारित की जायेगी।

[सं.एफ.6(179)परि/कर/मु./95/1]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.326.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा किया जाना समीचीन है, राज्य में दिनांक 12.02.2018 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत ऐसे लोक सेवा यान, जो केवल लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस (एलपीजी), कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) या सौर ऊर्जा द्वारा चालित हैं और इसी रूप में मूल रूप से यान विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित हैं, पर उक्त अधिनियम की धारा 4-ग के अधीन संदेय एकमुश्त कर के 25 प्रतिशत की, इसके द्वारा छूट देती है।

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/2]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.327.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22सी दिनांक 14.07.2014 में तुरंत प्रभाव से इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 3 के सामने, स्तम्भ 2 में, विद्यमान मद (1) और (2) और स्तम्भ 2 और 3 में उनकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"

(1) संलग्न यान	यान की लागत का 10 प्रतिशत
(2) संलग्न यान से भिन्न	

	(क) तिपहिया यान	चैसिस/यान की लागत का 9 प्रतिशत
	(ख) 3000 किग्रा तक सकल यान भार वाले चौपहिया यान	चैसिस/यान की लागत का 10 प्रतिशत
	(ग) 3000 किग्रा से अधिक तथा 16500 किग्रा तक सकल यान भार वाले चौपहिया यान	चैसिस/यान की लागत का 11 प्रतिशत
	(घ) 16500 किग्रा से अधिक सकल यान भार वाले चौपहिया यान	चैसिस/यान की लागत का 10 प्रतिशत

'';और

(ii) विद्यमान क्रम संख्यांक 6 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 7 और उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जायेगी, अर्थात् :-

"

7.	ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 12 सीट से अधिक बैठक क्षमता वाले विमानपत्तन के बंद परिसरों में अनन्य रूप से प्रयुक्त किये जाने वाले परिवहन यान	
	(क) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 10 प्रतिशत
	(ख) बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 6 प्रतिशत

''

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/22एफ]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

एस.ओ.328.-राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.6(261)परि/टैक्स/एचक्यू/2004/21 दिनांक 22.09.2004 में तुरंत प्रभाव से, इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

''सारणी

क्र. सं.	मोटर यान के वर्ग का वर्णन	विशेष सड़क कर की मासिक दर
1	2	3
1	ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली मंजिली गाड़ियां।	
	(क) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. तक हो।	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 0.2 प्रतिशत
	(ii) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 0.16 प्रतिशत
	(ख) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 200 कि.मी. से अधिक किन्तु 400 कि.मी. से अधिक न हो।	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 0.25 प्रतिशत
	(ii) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 0.21 प्रतिशत
	(ग) सेवा द्वारा एक दिन में तय किये जाने के लिए अपेक्षित दूरी 400 कि.मी. से अधिक हो।	
	(i) चैसिस के रूप में क्रय किया गया	चैसिस की लागत का 0.3 प्रतिशत
	(ii) सम्पूर्ण बॉडी के साथ क्रय किया गया	यान की लागत का 0.26 प्रतिशत ”

[एफ.6(179)परि/टैक्स/एचक्यू/95/21ए]
राज्यपाल के आदेश से,

डॉ. मनीषा अरोड़ा,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, February 12, 2018

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No.F.4(3)FD/Tax/2018-178 to 198 and Transport Department Notification No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27B1, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1, F.6 (179)/Pari/Tax/Hqrs/95/2, F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/ 95/22F and F.6(179)/Pari/Tax/ Hqrs/95/21A dated February 12, 2018.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.303.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-269 dated 30.03.2016, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) the existing serial number 1 and 2 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"

1.	Where the market value of the share, interest, part or claim renounced does not exceed rupees 10 lakh.	Five hundred rupees

"; and

(ii) the existing serial number "3" shall be renumbered as serial number "2".

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-178]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.304.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the

opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendments in this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-113 dated 08.03.2017, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) for the existing expression "2%", the expression "1%" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "3.5%", the expression "2%" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-179]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.305.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-227 dated 08.03.2016, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "31.03.2018", the expression "31.03.2019" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-180]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.306.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-228 dated 08.03.2016, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "31.03.2018", the expression "31.03.2019" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-181]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.307.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-229 dated 08.03.2016, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "31.03.2018", the expression "31.03.2019" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-182]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.308.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-230 dated 08.03.2016, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "31.03.2018", the expression "31.03.2019" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-183]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.309.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the instrument of Articles of Association of a Company specified in Article 10 of the Schedule to the said Act shall be reduced and charged at the rate of 0.15 percent subject to a minimum of rupees five thousand and a maximum of rupees twenty five lakh.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-184]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.310.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the agreement executed between bank and merchant in respect of Point of Sale (POS) Machine shall be exempted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-185]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.311.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the power of attorney specified in clause (c) of Article 44 of the Schedule to the said Act executed in favour of stock broker registered with Securities

and Exchange Board of India for the purpose of buying and selling of securities shall be reduced and charged rupees one hundred.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-186]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.312.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.12(25)FD/Tax/11-153 dated 09.03.2011, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the instruments specified in Article 14 and clause (c) of Article 37 of the Schedule to the said Act shall be reduced and charged at the rate of 0.15 percent subject to maximum of rupees five lakh.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-187]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.313.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the following instruments of lease or allotment, shall be reduced and charged as follows, namely:-

S.No.	Description of instruments	Stamp Duty
1.	If such lease or allotment is issued by Gram Panchayat under rule 157 or 158 of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996.	One hundred rupees
2.	If such lease or allotment is issued under the Rajasthan Government Grants Act, 1961 (Act No. 20 of 1961).	One hundred rupees
3.	If such lease or allotment is issued under the Slum Redevelopment Policy-2012 of the Government of Rajasthan.	One hundred rupees

4.	If above mentioned lease or allotment is submitted for registration after revalidation.	One hundred twenty five rupees

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-188]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.314.- In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.2(6)FD/Tax/2014 pt.-156 dated 1.1.2018, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "15.02.2018", wherever occurring, the expression "31.05.2018" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-189]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.315.- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.4(4)FD/ Tax/2015-226 dated 09.3.2015, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) the existing clause 8 relating to rates of commercial plots having area of 100 sq. meter and above shall be substituted by the following, namely:-

"8. Rates of residential or commercial plots having area more than 3000 sq. meter

Valuation of residential or commercial plots having area more than 3000 sq. meter, based on the rates recommended by the District Level Committee shall be reduced by 5%.";

(ii) in clause 10, for the existing expression "75%", the expression "50%" shall be substituted;

(iii) in the existing clause 11, the following new explanation shall be added, namely:-

"Explanation: If the rates of actual use of land are lower than the rates of approved land use of such land then the valuation of land shall be determined on the basis of approved land use.";

(iv) existing clause 13 relating to rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter shall be substituted by the following, namely:-

"13. Rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter

Rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter situated in urban areas or urbanisable limits or in periphery belt of urban areas as defined in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), shall be equal to the rates of residential land of that area.

Explanation: (i) The above rates shall be applicable on the instrument of sale.

(ii) Where in the instrument of sale of agriculture land the number of buyers are more than one and share of any buyer is 1000 square meter or less, value of such share of land shall be calculated at the rate of residential land of that area."; and

(v) in clause 14, the existing Explanation (i) shall be substituted by the following, namely:-

"(i) The above rates specified for institutional, residential and commercial land in RIICO Industrial Area shall also be applicable on the matters pending before the Collector (Stamps) or any other Court."

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-190]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.316.- In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government being of the opinion that the circumstances require so to do, hereby orders that the existing rates of agriculture, residential and commercial categories of land recommended by the District Level

Committee, shall be re-determined and decreased by ten percent with effect from 13.02.2018.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-191]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

ORDER
Jaipur, February 12, 2018

S.O.317.- In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government being of the opinion that circumstances require so to do, hereby orders that rates of agriculture, residential and commercial categories of land shall not be revised by the District Level Committee in the year 2018-19.

Explanation: (i) Provisions of sub-rule (3) of rule 58 of the said rules shall not apply for the year 2018-19, where the rates of agriculture, residential and commercial categories of land have not been revised by the District Level Committee upto 31.3.2018 for the year 2017-18; and

(ii) The meetings of the District Level Committees for the revision of rates for the financial year 2018-19 are being suspended by this order therefore the provisions of sub-rule (3) of rule 58 of the said rules shall not apply for the financial year 2019-20.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-192]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.318.- In exercise of the powers conferred by section 6 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.1(10)FD/Gr.-4/92-I dated 10.05.1994, the State Government hereby appoints the following officers mentioned in column 2 of the table given below as Registrar for the district mentioned against each of them in column 3 of the said table, namely:-

Table

S.No.	Registrar	District
1	**2**	**3**
1.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Ajmer Circle-I	Ajmer

2.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Alwar Circle-I	Alwar
3.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Banswara Circle	Banswara
4.	District Collector, Baran	Baran
5.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Barmer Circle	Barmer
6.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Bharatpur Circle	Bharatpur
7.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Bhilwara Circle	Bhilwara
8.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Bikaner Circle	Bikaner
9.	District Collector, Bundi	Bundi
10.	District Collector, Chittorgarh	Chittorgarh
11.	District Collector, Churu	Churu
12.	District Collector, Dausa	Dausa
13.	District Collector, Dholpur	Dholpur
14.	District Collector, Dungarpur	Dungarpur
15.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Hanumangarh Circle	Hanumangarh
16.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Jaipur Circle-I	Jaipur
17.	District Collector, Jaisalmer	Jaisalmer
18.	District Collector, Jalore	Jalore
19.	District Collector, Jhalawar	Jhalawar
20.	District Collector, Jhunjhunu	Jhunjhunu
21.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Jodhpur Circle	Jodhpur
22.	District Collector, Karauli	Karauli
23.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Kota Circle	Kota
24.	District Collector, Nagaur	Nagaur
25.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Pali Circle	Pali
26.	District Collector, Pratapgarh	Pratapgarh
27.	District Collector, Rajsamand	Rajsamand
28.	District Collector, Sawai Madhopur	Sawai Madhopur
29.	District Collector, Sriganganagar	Sriganganagar
30.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Sikar Circle	Sikar
31.	District Collector, Sirohi	Sirohi
32.	District Collector, Tonk	Tonk
33.	Deputy Inspector General, Registration and Stamps, Udaipur Circle	Udaipur

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-193]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.319.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 69 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby approve and publish the following rules further to amend the Rajasthan Registration Rules, 1955 (Volume-I), made by the Inspector General of Registration, Rajasthan in exercise of the powers conferred on him by sub-section (1) of the section 69 of the said Act, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Registration (Amendment) Rules (Volume-I), 2018.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 74.- The existing sub-rule (2E) of rule 74 of the Rajasthan Registration Rules, 1955 (Volume-I) shall be substituted by the following, namely:-

"(2E) In determining the amount of fee payable under the Act, any fraction of one rupee, equal to or exceeding 50 paise shall be rounded off to next one rupee, and such fractions of less than 50 paise shall be disregarded."

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-194]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.320.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.2(47)FD/Tax/09-04 dated 09.04.2010, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification, under the head ARTICLE-I, in column number 3,-

(i) against serial number 1, for the existing expression "four lakhs", the expression "three lakhs" shall be substituted; and

(ii) against serial number 6, for the existing expression "four lakhs", the expression "three lakhs" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-195]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.321.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that registration fees chargeable on the instrument of agreement to sale with or without possession executed between the developer and allottee in respect of dwelling units under the Chief Minister's Jan Awas Yojana-2015 shall be reduced and charged rupees one thousand.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-196]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.322.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-124 dated 08.03.2017, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "twenty years", the expression "thirty years" shall be substituted.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-197]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.323.- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Central Act No. 16 of 1908), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that

registration fees chargeable on the instrument of partition of ancestral property shall be reduced and charged at the rate of 0.25 percent on the market value of the separated share or shares of the property subject to maximum of rupees ten thousand.

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-198]
By order of the Governor,

(Praveen Gupta)
Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.324.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby makes the following amendment in this department's notification number F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27B dated 08.03.2016, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "30.04.2018", the expression "30.06.2020" shall be substituted.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27B1]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.325.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No.11 of 1951), the State Government hereby,-

(i) exempts from payment of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, Surcharge, penalty and interest, if any, payable on destroyed vehicles if Motor Vehicle Tax, Special Road Tax and Surcharge payable upto the date on which vehicle was destroyed, is deposited on or before 30.09.2018;

(ii) exempts from payment of penalty and interest payable on Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time Tax, Lump Sum Tax and Surcharge upto 31.03.2016 on vehicle other than the destroyed vehicles, if,-

  (a) penalty and interest, if any, due after 01.04.2016 on Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time tax, Lump Sum Tax and Surcharge is deposited on or before 30.09.2018; and

(b) any due Motor Vehicle Tax, Special Road Tax, One Time tax, Lump Sum Tax and Surcharge is deposited on or before 30.09.2018.

(iii) exempts from payment of penalty and interest payable on One Time Tax and Surcharge upto 31.01.2018 on non-transport vehicles registered outside the State and brought into the State for use exceeding thirty days, if one time tax and surcharge due upto 31.01.2018 is deposited on or before 30.09.2018.

Above exemption shall be subject to following conditions, namely:-

(i) The vehicle owner may apply before the Taxation Officer for the exemption.
(ii) The Taxation Officer shall calculate the tax and shall issue demand notice.
(iii) The Registration Certificate of destroyed vehicles shall be cancelled by the Registering Authority.
(iv) The amount of Motor Vehicle Tax, Special Road Tax including surcharge, penalty or interest, if any, paid earlier shall not be refunded.
(v) If any dispute arises regarding exemption, the decision of the Transport Commissioner shall be final.

Explanation: The date of destruction of the vehicle shall be determined in accordance with the procedure specified by the Transport Commissioner.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/1]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.326.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby, exempts 25% of lump sum tax payable under section 4-C of the said Act on the public service vehicles registered in the State on or after 12.02.2018 that are driven solely by Liquefied Petroleum Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG) or Solar Energy and originally manufactured by the vehicle manufacturers as such.

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/2]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.327.-In exercise of the powers conferred by section 4-C of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, makes the following amendments in this department's notification number

F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22C dated 14.07.2014, as amended from time to time, with immediate effect, namely:-

AMENDMENTS

In table of the said notification,-

(i) against serial number 3, for the existing item (1) and (2) in column 2 and entries thereto in column 2 and 3, the following shall be substituted, namely:-

"

(1)	Articulated Vehicle	10% of the cost of vehicle
(2)	Other than Articulated Vehicle	
	(a) Three wheeled vehicles	9% of the cost of chassis/vehicle
	(b) Four wheeled vehicle having G.V.W. upto 3000 kg.	10% of the cost of chassis/vehicle
	(c) Four wheeled vehicles having GVW more than 3000 kg and upto 16500 kg .	11% of the cost of chassis/vehicle
	(d) Four wheeled vehicles having GVW more than 16500 kg.	10% of the cost of chassis/vehicle

"; and

(ii) after the existing serial number 6 and entries thereto, the following new serial number 7 and entries thereto shall be added, namely:-

"

7.	Passenger Vehicles with seating capacity above 12 seats excluding driver used exclusively in the closed premises of Airports.	
	(a) Purchased as a chassis.	10% of the cost of chassis
	(b) Purchased with the body	6% of the cost of vehicle

"

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/22F]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018

S.O.328.-In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, makes the following amendment in this department's notification number F.6(261)/Pari/tax/HQ/2004/21 dated 22.09.2004, with immediate effect, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, the existing TABLE shall be substituted by the following, namely:-

"TABLE

S. No.	Description of class of Motor Vehicle	Monthly rate of Special Road Tax
1	2	3
1	Stage Carriage plying on rural routes.	
	(a) Distance required to be covered by the service in a day upto 200 km.	
	(i) Purchased as a chassis.	0.2% of the cost of the chassis
	(ii) Purchased with complete body.	0.16% of the cost of the vehicle
	(b) Distance required to be covered by the service in a day exceeds 200 km. but does not exceeds 400 km.	
	(i) Purchased as a chassis.	0.25% of the cost of the chassis
	(ii) Purchased with complete body.	0.21% of the cost of the vehicle
	(c) Distance required to be covered by the service in a day exceeds 400 km.	
	(i) Purchased as a chassis.	0.3% of the cost of the chassis
	(ii) Purchased with complete body.	0.26% of the cost of the vehicle

"

[No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/21A]
By Order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

Government Central Press, Jaipur.